

IS15700:2018



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
लखनऊ वृत्त,
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर
लखनऊ।



पत्र सं०- 477 / W-13 / 23

दिनांक- 14.3.2024

ई-निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा द्वारा टू-बिड पद्धति में निम्नांकित विवरण के अनुसार निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, जो उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-11, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना, लखनऊ स्थित कार्यालय में गठित समिति द्वारा खोली जाएंगी। कार्यों की मात्राएं बी०ओ०क्यू० के अनुसार होंगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुमानित कुल लागत जी.एस.टी. रहित (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य + समस्त कर (GST) सहित (रु० में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)
1	आग्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ के सेक्टर ई एवं एच में क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण का कार्य।	284.00	5.68	6000.00+18% GST =7080.00	04 माह
2	आग्रपाली योजना हरदोई रोड लखनऊ के सेक्टर एच-3 में सड़कों (इन्टरलॉकिंग टाइल्स) एवं नालियों का निर्माण कार्य।	176.00	3.52	4500.00+18% GST =5310.00	04 माह

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download Start Date	28-03-2024 (05.00 PM)
Document Download End Date	16-04-2024 (3.00 PM)
Bid Submission Start Date	28-03-2024 (05.30 PM)
Bid Submission / Closing Date	16-04-2024 (3:00 PM)
Technical Bid Opening Date	16-04-2024 (3:30 PM)
Financial Bid Opening Date	Date will be declared after opening Technical Bid
सम्बन्धित खण्ड/खाता धारक का नाम / बैंक खाते का विवरण (आर०टी०जी०एस०) हेतु	
Concerning Division office-	Executive Engineer, Construction Division Lucknow-11, U.P. Housing & Development Board, Office Complex, 4th Floor, Vrindavan Yojna, Lucknow.
Account Details for RTGS- A/c Holder Name-	Ex Eng Cd Lko 11 UPAVP Lko Bank Name : PUNJAB NATIONAL BANK, INDIRA NAGAR, LUCKNOW Account No. : 1853001100000034 IFSC Code : PUNB0185300


नोट:- ई-निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग-अलग आर०टी०जी०एस० के माध्यम से उल्लिखित विवरण के अनुसार दिनांक 15-04-2024 को अपरान्ह 03.00 बजे तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि कार्यालय में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जाएगा। कार्यालय का पता उपरोक्तानुसार है।

ई-निविदा हेतु शर्त :-

- 1- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदाएं अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- 2- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिए निर्धारित प्रारूप में रु० 100/- का नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर तथा हस्ताक्षरित रु० 1/- की रेवेन्यू स्टाम्प निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी०एस०टी० में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- 4- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5- बी०ओ०क्यू० की दरों में जी०एस०टी० को छोड़कर अन्य समस्त कर सम्मिलित है, जी०एस०टी० नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस तथा अन्य कर जो उ०प्र० सरकार/भारत सरकार द्वारा लागू किया जाता है,

- की कटौती नियमानुसार की जाएगी। जी0एस0टी0 का तद्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी0एस0टी0 Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त, नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।
- 6- किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार, सक्षम अधिकारी हो सुरक्षित रहेगा।
- 7- समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद/MORT & H/IRC/यू.पी.पी.सी.एल. (विद्युत कार्यो हेतु) की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
- 8- निविदा की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा में उल्लिखित लागत अनुमानित है, जिसमें (+/-) परिवर्तन (बढोतरी/घटोतरी) सम्भव है।
- 9- निविदा से सम्बन्धित सूचना एवं निविदा प्रपत्र, परिषद की <http://upavp.in> एवं उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक कॉरपोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखे जा सकते हैं। इच्छुक ठेकेदारो से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जाएगी।
- 10- शासनादेश सं0-622/23-12-2012-2 आडिट/08-टी0सी0-02, अनुभाग-12 दिनांक 08-06-2012 के क्रम में न्यूनतम निविदाता द्वारा निविदत्त दर के बिल ऑफ क्वान्टिटी की लागत से 10 प्रतिशत below तक 0.5 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत तथा 10.00 प्रतिशत से अधिक below पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1.00 अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफार्मेन्स गारन्टी, एफ0डी0आर0/ सी0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-11, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के नाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर न्यूनतम निविदादाता द्वारा दी गयी दरों के आधार पर खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में निविदा की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि निगोसियेशन के उपरान्त निविदा की दरें और कम होती हैं, तो निविदादाता द्वारा अन्तिम रूप से सहमत दरों पर तदनुसार पुनरीक्षित अतिरिक्त सिक्योरिटी/ परफार्मेन्स गारन्टी, अनुबन्ध गठन से पूर्व अवश्य जमा करनी होगी। अन्यथा निविदा निरस्त किए जाने पर विचार किया जाएगा। उक्त परफार्मेन्स गारन्टी कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापस की जाएगी।
- 11- कार्य हेतु निविदा डालने से पूर्व, ठेकेदार/फर्म कार्य स्थल का निरीक्षण एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्णतया: अध्ययन अवश्य कर लें। ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग किए जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कर लिया गया है तथा इस सम्बन्ध में भविष्य में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 12- निविदादाता के निविदा स्वीकृत अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, आसामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो निविदादाता के साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
- 13- निविदा के कार्य में सम्मिलित विशेष प्रकृति के कार्य, तत्संबन्धी कार्यो हेतु दक्ष अधिकृत एजेन्सी के परिवेक्षण में कराने होंगे।
- 14- उ0प्र0 भवन में अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष-2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयको का भुगतान किया जाएगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जाएगी।
- 15- निविदादाता द्वारा दिये गये दत्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए निविदादाता की फर्म को काली सूची में डाला जायेगा।
- 16- कार्य में प्रयुक्त सामग्री के सैम्पल्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी एजेन्सी से चैकिंग/टैस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
- 17- ई-टैण्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह-श्रेणी एवं उससे उच्च श्रेणी के निविदादाता पात्र होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- 18- कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 19- निविदा की दर कम या अधिक (Below or above) अंकित न होने पर, निविदा की दरें कम Below मानी जायेगी।
- 20- यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
- 21- क्रमांक-1 के कार्य हेतु हाट मिक्स प्लान्ट का स्वामित्व रखने वाली फर्मों की निविदायें ही मान्य होगी, जो कि इस आशय का शपथ पत्र भी निविदा में अपलोड करेंगे की उक्त कार्य हाट मिक्स प्लान्ट द्वारा उच्च गुणवत्ता की सामग्री से करायेंगे।

- 22- अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
- 23- यदि निर्माण कार्य की जाँच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
- 24- कार्य की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि एवं उक्त मद में रोकी जाने वाली धनराशि तकनीकी/वित्तीय बिड के अनुसार होगी।
- 25- ई-निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण-पत्र हैसियत प्रमाण-पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो तथा वित्तीय निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
- 26- निविदादाता/फर्म को वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 07 वर्षों में समान प्रकृति के निम्नलिखित तीन कार्यों में से एक कार्य के अनुसार (अ,ब,स, में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर, संलग्न करना अनिवार्य है।
- अ) निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
- ब) निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य के दो कार्य।
- स) निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य के तीन कार्य।
- 27- शासनादेश सं०-1345/86-2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री कार्य नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रवन्ना (E-MM - 11) प्रस्तुत करना होगा तथा आपूर्तिकता से रायल्टी जमा किये जाने का प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जायेगी।
- 28- निविदादाता द्वारा कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक मशीनरी के स्वयं स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
- 29- निर्माण के दौरान, जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायवर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 30- कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रमाकर की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर फर्म को सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन कराना होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- 31- एन०जी०टी० सम्बन्धी नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु निविदादाता फर्म द्वारा अनुबंध गठन के समय शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 32- कार्यों को निर्धारित समय के अन्तर्गत, कार्य की प्राथमिकता के अनुसार चरणवार इस प्रकार सम्पादित कराना होगा कि स्थल पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो एवं सभी कार्य सुगमतापूर्वक/गुणवत्ता के साथ पूर्ण हो सकें।
- 33- अन्य नियम व शर्तें निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड के अनुसार होगी।
- 34- जी०पी० डब्लू-9 फार्म अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
- 35- उ०प्र० शासन/जिला प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य से सम्बन्धित कोविड-19 अथवा अन्य किसी प्रकार के दिये गये निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।



अधीक्षक अभियन्ता

लखनऊ वृत्त
दिनांक- 14/3/24

पृ०सं०: 477 / W-13 / 23

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- मुख्य अभियन्ता(म०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 2- समस्त अधीक्षक अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
- 3- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त ई-निविदा सूचना को परिषद की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-11, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-10/12/13, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।


अधीक्षक अभियन्ता
लखनऊ वृत्त 14/3/24